UPSP010059772026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी. 1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2306/2026

मुनव्वर उर्फ बग्गा पुत्र जाहिद, निवासी ग्राम नानका थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर ।
..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोजन

मु.अ.सं.– 203/2026
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–फतेहपुर, जिला– सहारनपुर।

11–06–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **मुनव्वर उर्फ बग्गा** पुत्र जाहिद द्वारा मु0अ0सं0–203/2026, धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमती बानो पत्नी जाहिद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 24.05.2026 को वादी उ0नि0 सजल कुमार मय हमराह कर्मचारीगण मय प्राइवेट वाहन थाना हाजा से बहवाले रपट न० 33 समय 12.04 बजे रवाना होकर क्षेत्र मे मामूर थे। जब पुलिस वाले गश्त करते हुये छुटमलपुर से रसूलपुर जाने वाले रास्ते पर पहुँचे तो एक व्यक्ति के०डी० पब्लिक स्कूल के बराबर में खेतो की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर खडा मिला। जो पुलिस वालो को देखकर सकपकाकर कच्चे रास्ते पर आम के बाग मे तेज कदमो से जाने लगा। तब पुलिस वालो को शक होने पर एक बारगी दबिश देकर घेर घोटकर उस व्यक्ति को समय करीब 12.42 बजे आम के बाग में 20–25 कदम की दूरी पर पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम **मुनव्वर उर्फ बग्गा** पुत्र जाहिद हाल नि० ग्राम नानका थाना फतेहपुर सहारनपुर उम्र 25 वर्ष बताया। पकडे गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा तो बताया कि साहब मेरे पास चरस है। पकड़े गये व्यक्ति को अवगत कराया गया कि आपको अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से लिवाने का अधिकार है, आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से लिवा सकते है, तो कहने लगा कि साहब मुझे आपने पकड ही लिया है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है मैं किसी अधिकारी को गवाह बनाना नहीं चाहता हूँ आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए। मौके पर ही धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत सहमति पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाकर सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये व धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत उक्त व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताकर पकड़े गये व्यक्ति मुनव्वर उर्फ बग्गा उपरोक्त की जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकडी गयी हरी रंग की पालिथीन मे पारदर्शी पन्नी मे काले रंग का पदार्थ नाजायज **चरस** बरामद हुआ। विवेचना किट से इलैक्ट्रोनिक कांटा निकालकर वजन तोला तो कुल वजन **229 ग्राम** अवैध चरस बरामद हुआ। बरामदा चरस मादक पदार्थ को मौके पर ही सूघा एवं हमराही पुलिसवालो को सुंघ

ाया तो चरस जैसी गंध आ रही है। अभियुक्त मुनव्वर उर्फ बग्गा उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्त मुनव्वर उर्फ बग्गा के विरुद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को वाद उक्त में असत्य व निराधार तथ्यों पर साजिशी व रंजिशन झूठा व गलत फंसाया गया है। जबकि प्रार्थी कतई निर्दोष है। प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जो उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आता हो। प्रार्थी को गांव की पार्टीबाजी व रंजिश के कारण झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी अपने गांव से शहर आ रहा था। रास्ते में वाहन चैकिंग के दौरान प्रार्थी को पुलिस ने रोक लिया, प्रार्थी जल्दी में था इसलिए प्रार्थी की पुलिस से कहन सुनन हो गयी तथा पुलिस द्वारा प्रार्थी को थाने ले जाकर तमाम लिखा पढ़ी थाने पर करके प्रार्थी से झूठी बरामदगी दिखाकर प्रार्थी को इस मामले में झूठा फसाया गया है। प्रार्थी से कोई कथित बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस ने धारा 50, 52 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। प्रार्थी का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त मुनव्वर उर्फ बग्गा को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके से पकड़े जाने पर उसके कब्जे से 229 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण के अतिरक्त अन्य मामले मु0अ0सं0 360/19 धारा 323, 324, 506 भा0दं0सं0, मु0अ0सं0 147/24 धारा 60, 63 आबकारी अधि0 व मु0अ0सं0 203/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर पर पंजीकृत हैं। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्रदान किये जाने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **मुनव्वर उर्फ बग्गा** को मौके से पकड़े पर जामातलाशी में उसके कब्जे से **229 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद होना अभिकथित है। उपरोक्त बरामद चरस के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्त से बरामद
23	चरस	100 ग्राम	1000 ग्राम	229 ग्राम

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद चरस की मात्रा अल्पमात्रा से थोड़ी अधिक है, किन्तु वाणिज्यिक श्रेणी से काफी कम है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है तथा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि दर्शाये गये आपराधिक इतिहास के मामले में अभियुक्त जमानत पर है तथा मु0अ0सं0 203/24 अं0धारा 303(2)बी0एन0एस0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर अज्ञात में दर्ज है, जिसमें थाने द्वारा एफ0आर0 न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है तथा अभियुक्त का इस मुकदमे से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियोजन की ओर से भी आपराधिक इतिहास के मामले में अभियुक्त के दोषसिद्ध होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनाँक 24.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मुनव्वर उर्फ बग्गा** पुत्र जाहिद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–203/2026, अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये, कि–

(1) अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा और बिना किसी कारण कोई स्थगन नहीं देगा और गवाह आने पर प्रत्येक स्थिति में गवाह से प्रतिपरीक्षा करेगा,

(2) अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा, और

(3) अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 11–06–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.06.11 16:44:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court